28/11/19
30/12/19
26/2/20
13/5/20
21/7/20
25/9/20
23/12/20
4/2/21
4/3/21

File No. ____________________

मु० नं. 18/19 किस्म दीवानी तारीख दायरा 16-10-19 तारीख निर्णय स्वीकार 4/3/21

भूपालसिंह vs ग्राम पंचायत

Name #2019/00410

Address ____________________

Subject ____________________

From ____________________ **To** ____________________

—भगवानसिंह गुर्जर

H 2406 – प्रकाशसिंह

Cloth Line

No. 350

challenge

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिलाधिकारी मुकाम कपाना

बनाम

किस्त मुकदमा भूपाल सिंह नं. ग्राम पंचायत करछेदा सन्

अपील 18/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
16/10/19	अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पाडेन्ट्स को नोटिस का पत्रावली दिनांक 28/11/19 को पेश हो। [initials]	
28/11/19	पु0 अपीलान्ट उप0। रेस्पोडेन्ट न0 01 की ओर से कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं, व रेस्पा0 2 से 08 की ओर से कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ। पु0 की वकालत नामा पेश हुआ। रेस्पाडेन्ट 01 की तामील नहीं हुई है। रेस्पा0 01 की तामील हेतु तलबाना पेश हो। रेस्पा0 2 से 8 की ओर से दरखास्त जवाब पेश हुआ। पत्रा0 तामील 01 हेतु दिनांक 30/12/19 को पेश हो [initials]	
30/12/19	पु0 अपी0 उप0। रेस्पा0 01 की तामील हेतु तलबाना पेश नहीं आ0 पेश हो। पत्रावली दिनांक 26/2/20 को पेश हो [initials]	
26/2/20	पु0 अपी0 उप0। रेस्पा0 01 की तामील हेतु तलबाना पेश हुआ। पत्रावली दिनांक 30/3/20 को पेश हो [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी ....

पत्रावली .... दिनांक .... को पेश हो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
13/5/20	पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश पर है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/7/20 को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	
21/7/20	पीठासीन अधिकारी [illegible] है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/9/ को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	
25/09/20	पीठासीन अधिकारी [illegible] है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/12/20 को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	
23/12/20	पीठासीन अधिकारी [illegible] है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/2/21 को पेश हो [illegible] रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	
4/2/21	पीठासीन अधिकारी [illegible] है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/2/21 4/3/21 को पेश हो [illegible] रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	
04/3/2021	प्रकरण पेश हुआ। उभय पक्ष उपस्थित। अपीलार्थी ने अपील सं. 895 निर्णय दिनांक 14/12/2017 ग्राम पंचायत [illegible] तहसील बयाना विरुद्ध पेश कर निवेदन किया लगातार --	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार - -	

है कि ग्राम झामरी तह० बपाना मे सूरती पुत्र भंवर जाति जाट निवासी झामरी की मृत्यु हो चुकी है जिसकी अराजीयात कार्य भूमि ग्राम झामरी तहसील बपाना स्थित है। जिसके खाता संख्या 96, 97, 342 पर विरासत का दा० खा० संख्या 895 से विधिक वारिसानो के नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया। विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन ना०सं० 895 मे प्रार्थी का नाम भूपाल सिंह के स्थान पर ओपाल सिंह गलत दर्ज हो गया हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम भूपाल सिंह है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड मे भूपाल सिंह दर्ज हैं। दाखिल खारिज दर्ज करते समय मृतक सूरती के वारिसान की सही जानकारी नही की। गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही हैं। इस त्रुटि की जानकारी प्रार्थी को पटवारी हल्का से दिनांक 03/10/2019 को किसान क्रेडिट कार्ड बनाते समय हुई। अपील प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार बपाना को रिमाण्ड किए जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया। रेस्पो० 1लगायत 8 की ओर से श्री प्रकाश सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 28/11/2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2लगायत [illegible] प्रार्थना पत्र पेश हुआ। साथ ही [illegible] 23/12/2020 को रेस्पोडेन्ट सं० 01 ने [illegible] स्वीकार करने में अपनी सहमति [illegible]

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। रेस्पोडेन्टस के एडवोकेट अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested

लगातार -

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
लगातार ---	

विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने के उपरान्त, पत्रावली में संलग्न अभिलेख जमा० सम्वत 2075-76, नकल प्रमाणित ना०सं० 895 निर्णय दिनांक 20/12/17, चुनाव आयोग से जारी फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रतियों का अवलोकन किया। जमा० 2075-76 अनुसार खाता संख्या नवीन 261 में दर्ज काश्त में अपीलार्थ का नाम भोपाल सिंह दर्ज है। ना०सं० 895 के मृतक सुरती पुत्र अमर के वारिसान (सजरा) में भी अपीलार्थ का नाम भोपाल सिंह दर्ज है कि सजरे के आधार पर मृतक के वारिसान के नाम उक्त नामान्तकरण दर्ज हुआ है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, राशन कार्ड, चुनाव आयोग से जारी फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड में भूपाल सिंह अंकित है। रेस्पोंडेन्ट ने भी इकबाल प्राप्ति पत्र पेश कर अपील अपीलार्थ स्वीकार करने का निवेदन किया है। अपील अपीलार्थ स्वीकार योग्य है।

आदेश :-

अतः अपील अपीलार्थ स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 895 निर्णय दिनांक 14/12/17 बाबत ग्राम आमरी तहसील बयाना ग्राम पंचायत बरखेड़ा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बयाना को प्रकरण इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक सुरती के विधिक वारिसान की जाँच कर गुणावगुण के आधार पर एक माह में निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय [illegible] [illegible]/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:33:48 IST
Reason: SelfAttested